

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2020—कार्तिक 22, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम. (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 9

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2020

फा. क्र. 17(ई) 17-2016—इक्कीस-ब(एक)—2808-2020.— कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17(ई) 17-2016—इक्कीस-ब(एक)—2311-19, दिनांक 04 मई 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

स.क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश स्तर
(1)	(2)	(3)
"4,	ग्वालियर	श्री देवेन्द्र कुमार कुण्डु, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर

F.No. 17(E)-17-2016-XXI-B(1)2808-2020.— In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016), the State Government, with the Concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in this department's notification no. 17(E)17-2016-XXI-B(1) 2311-19, dated 4th, May 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1, dated 17th May 2019 namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S.No.	District	Name of the Officer & designation
(1)	(2)	(3)
"4.	Gwalior	Shri Devendra Kumar Kundu, III Additional District Judge, Gwalior."

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2020

फा.क्र. 3126-2020-इक्कीस-ब(एक).— यतः भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित, आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2006 के अनुपालन में और राज्य परिषद् के आदेश दिनांक 05 जून, 2006 के अनुपालन में, विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई है;

उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून, 2006 के पैरा 8 (2) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन, सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगा.

अतएव, इस संबंध में जारी इस विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं की निरंतरता में, राज्य शासन, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में वर्णित राज्य में, के निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	जिला	चिकित्सालयों का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	बालाघाट	डॉ. अक्षय चंदन अरोरा, "अलख निवास" वार्ड नं. 11, भटेरा रोड, बालाघाट (मध्यप्रदेश)
2.	भोपाल	अंजलि डेन्टल क्लिनिक, बी-54, कस्तूरबा नगर, भोपाल

F.No. 3126-2020-XXI-B(1).— WHEREAS, in compliance of the order dated 21st February, 2006 passed by the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 1022/89 All India Judges Association and Others Versus Union of India and others and in Compliance of the order dated 5th June, 2006 of the State Council the Law and Legislative Affairs Department vide its order dated 15th June, 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers posted in Madhya Pradesh;

AND, WHEREAS, para 8 (2) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15th June, 2006 provides that the State Government shall notify private hospitals for treatment of working/retired judicial officers and their family members;

NOW, THEREFORE, in continuation of this department's all previous notifications issued in this regard the State Government, in consultation with the Director, Health Services, Madhya Pradesh, hereby, notifies the following private hospitals in the State mentioned in column (3) of the Table below for treatment of working/retired Judicial Officers and their family members, namely :-

TABLE

S.No.	District	Name of Hospitals
(1)	(2)	(3)
1.	Balaghat	Dr. Akshay Chandan Arora "Alakh Niwas" Ward No. 11 Bhathera Road, Balaghat (M.P.) Phone- 07632-248002
2.	Bhopal	Anjali Dental Clinic, B-54, Kasturba Nagar, Bhopal

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2020

फा.क्र. 4226-इक्कीस-ब(दो).— राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्र. 995-गोपनीय-2020-II-2-9-97, दिनांक 9 अक्टूबर 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारी को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1.	श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा	विदिशा	विदिशा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा की हैसियत से श्री प्रशांत कुमार के स्थान पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2020

पंजी.क्र. 4091-2020-इक्कीस-ब(दो).— राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील-भाण्डेर, जिला-दतिया में विभागीय आदेश दिनांक 20 जनवरी 1983 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री राधामोहन बुधौलिया का दिनांक 12 अगस्त 2020 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति सिंह, अपर सचिव.

पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2020

क्र. एफ-5-1-2017-अठारह-5.— भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर 2017 द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सिया) एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक) का कार्यकाल दिनांक 09 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो जाने के कारण, भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21 मई 2020 में किये गये प्रावधान अनुसार उक्त समिति के कार्यकाल में छः माह की वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव दिनांक 6 अक्टूबर 2020 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये थे.

(2) भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 26 अक्टूबर 2020 द्वारा उपरोक्तानुसार गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सिया) एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), मध्यप्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य दिनांक 09 अप्रैल, 2021 की अवधि या नये प्राधिकरण/समिति के गठन, इनमें से जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे.

(3) उक्त सिया एवं सेक का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि दिनांक 26 अक्टूबर 2020 से दिनांक 9 अप्रैल, 2021 तक अथवा नये प्राधिकरण/समिति के गठन, इनमें से जो पहले हो, तक रहेगा.

(4) अन्य शर्तें पूर्व में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2017 के अनुसार ही रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

क्र. एफ-3-72-2020-अठारह-5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त, सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक-4123-टीसी-11-टीसी-उपा-नग्रानि-2020, दिनांक 05 अक्टूबर 2020 द्वारा प्रस्तावित किये गये, अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कानासैया,	40	24.330 में से 15.150	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक)
		51	7.340 में से 5.084		
	योग :-		<u>20.234</u>		

- (2) प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित वर्तमान बायपास मार्ग की चौड़ाई 66.00 मीटर प्रस्तावित है. अतः वर्तमान मार्ग के मध्य से 33.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना होगी.
- (3) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 19 अक्टूबर 2020

क्र. 131-5अ-एस.सी. 1-2020.- जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 28 नवम्बर 2019 के कार्यवाही विवरण की कण्डिका 07 के पैरा 4(4) में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-1-4, भोपाल दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुक्रम में आदेश की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा शासकीय महाविद्यालय रामपुर बाघेलान जिला सतना का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी "स्व० ठाकुर गोविन्द नारायण सिंह" शासकीय महाविद्यालय रामपुरबाघेलान जिला सतना म.प्र. किये जाने का आदेश दिया जाता है.

अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 24 अक्टूबर 2020

आदेश

क्र. 10884-85-एस.सी. 2-2020.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1800-1801-एस.सी.-2, दिनांक 25 जनवरी 2020 के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2020 दशहरा मिलन (सोमवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था।

सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-3-4-2019-1-4, दिनांक 23 अक्टूबर 2020 के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2020 (दिवस सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस कारण दिनांक 26 अक्टूबर 2020 दशहरा मिलन (सोमवार) को स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुये दिनांक 16 नवम्बर 2020 (दिवस सोमवार) भाईदूज को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

....., अपर कलेक्टर.

कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2020

क्र. फा. दो-22-1-स्था.-2013.- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34 (2) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2020 के कैलेंडर अनुसार उच्च न्यायालय के लिये अधिसूचित शीतकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 25 से 31 दिसम्बर तक कुल एक सप्ताह का शीतकालीन विश्रामावकाश रहेगा।

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,

यतेश शिशोदिया, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

[देखिये धारा 9(7)]

सागर, दिनांक 16 सितम्बर 2020

क्र. 102 अ-82-17-18-भू-अर्जन-2020-6547.- भू-अर्जन प्रकरण 102 अ-82-17-18 में कड़ान मध्यम परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित मौजा खानपुर, बेरखेरी सुवंश, बेरखेरी खुर्द, तहसील सागर, जिला सागर के प्रभावित मकानों के अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन दिनांक 6 जून 2019 को किया गया था तथा धारा 19 (1) के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 5 जून 2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण प्रकरण में धारा 23 के अर्वाइड पारित किये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19(1) के तहत प्रकाशित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार के प्रकाशन की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास
तहसील-मऊगंज, जिला रीवा, मध्यप्रदेश**

मऊगंज, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

क्र. 152-भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास, तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा :-

अनुसूची

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
ढनगन 414,	2580	0.089	0.007
पटवारी हल्का 7 ढनगन,	2579	0.053	0.006
रा.नि.म. देवतालाब,	2576	0.364	0.023
तहसील-मऊगंज	2593	0.162	0.013
	2568	0.073	0.004
	2567	0.073	0.013
	2539	0.085	0.011
	2541	0.040	0.003
	2540	0.045	0.002
	2535	0.219	0.009
	2534	0.105	0.003
	2526	0.555	0.031
	2523	0.182	0.011
	198	0.182	0.013
	199	0.020	0.006
	202	0.539	0.015
	206	0.065	0.009
	207	0.065	0.010
	216	0.138	0.010
	215	0.178	0.006
	214	0.175	0.008

(1)	(2)	(3)	(4)
	878	0.036	0.002
	879	0.186	0.008
	880	0.158	0.006
	881	0.105	0.007
	882	0.186	0.008
	899	0.061	0.011
	903	0.085	0.018
	902	0.085	0.010
	909	0.016	0.007
	908	0.210	0.007
	930	0.065	0.002
	931	0.073	0.004
	932	0.097	0.004
	933	0.097	0.004
	2045	0.069	0.002
	2026	0.138	0.014
	2025	0.142	0.016
	2067	0.142	0.001
	2018	0.093	0.014
	2016	0.012	0.001
	2015	0.312	0.017
	1816	0.146	0.001
	1817	0.048	0.008
	1818	0.089	0.010
	1828	0.032	0.005
	1827	0.004	0.002
	1826	0.036	0.005
	1824	0.129	0.010
	1834	0.069	0.002
	1835	0.081	0.012
	1844	0.040	0.008
	1850	0.069	0.001
	1843	0.012	0.004
	1842	0.026	0.004
	1857	0.012	0.003
	1863	0.049	0.006
	1860	0.012	0.004
	1861	0.012	0.001
	1859	0.024	0.002
	1918	0.036	0.005
	1919	0.162	0.008
	1915	0.162	0.011
	1914	0.166	0.017
	1912	1.173	0.043

(1)	(2)	(3)	(4)
	1907	0.053	0.007
	1905	0.162	0.022
	1901	0.081	0.007
	3200	0.166	0.015
	3201	0.154	0.013
	3199	0.656	0.016
	3198	0.656	0.026
	3214	0.016	0.002
	3213	0.222	0.012
	3219	0.227	0.009
	3221	0.118	0.007
	3232	0.182	0.003
	3233	0.247	0.022
	3234	0.247	0.009
	3691	0.214	0.002
	3690	0.024	0.006
	3695	0.113	0.004
	3696	0.036	0.003
	3697	0.574	0.019
	3688	0.016	0.011
	3702	0.199	0.013
	3703	0.061	0.002
	3704	0.146	0.002
	3705	1.036	0.041
	3723	1.125	0.035
	3724	0.583	0.031
	3727	0.032	0.002
	3728	0.231	0.013
	3731	0.101	0.017
	3736	0.058	0.004
	3737	0.324	0.016
	3738	0.234	0.012
	3580	0.542	0.007
	2020	0.053	0.010
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—		17.193	0.968
	2554	0.190	0.006
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग—		0.190	0.006
अ+ब का योग —		17.383	0.974

क्र. 153-भू-अर्जन-कार्य-2020.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास, तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा :-

अनुसूची

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
खर्वा-174, पटवारी हल्का 16 खर्वा, रा.नि.म. खर्वा, तहसील-नईगढ़ी	12	0.543	0.014
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-		0.543	0.014
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
अ + ब का योग-		0.543	0.014

क्र. 154-भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास, तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा :-

अनुसूची

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
नीवी-542,	1/1/1	0.123	
पटवारी हल्का 16 खर्वा,	1/1/2	0.123	0.008
रा.नि.म. खर्वा,	1/1/3	0.122	
तहसील-नईगढ़ी	1/2	0.020	
	2/1	0.182	0.017
	2/2	0.178	
	3/1	0.369	0.031
	3/2	0.291	
	6	0.283	0.006
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-		1.691	0.062
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
अ+ब का योग-		1.691	0.062

क्र. 155-भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1068 दिनांक 22 अप्रैल 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-मिसिरा-855, तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा से ग्राम-मिसिरा-855 तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह, अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	नईगढ़ी	मिसिरा-855	165	0.022
		पटवारी हल्का 14	164	0.018
		बेला कमोद,	162	0.008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			160	0.022
			161	0.011
			152/1	0.006
			152/2	0.012
			150	0.011
			148/1	0.002
			147/1/क	0.006
			147/1/ख	0.021
			147/1/ग	0.027
			147/2	0.010
			178/3/129	0.004
			129/1/क	0.018
			129/1/ख/1	0.026
			129/3	0.032
			96/1	0.014
			97	0.012
			98	0.012
			93/1	0.010
			92/2	0.019
			81/1	0.019
			82/1/1	0.014
			82/1/2	0.006
			63/2	0.012
			62	0.011
			35/1	0.008
			35/2	0.008
			34	0.013
			29/1/1	0.013
			30	0.009
			31	0.001
			23	0.018
			22/1/क	0.001
			22/2/3	0.007
			2/1/ख/1	0.014
			2/1/ज/2/2	0.026
			2/1/ठ	0.014
			2/1/ड	0.028

क्र. 156-भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 886 दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-बराती 692 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा से ग्राम बराती 692 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह, अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	बराती-692,	616/1/क/1	0.028
		पटवारी हल्का 14	616/1/ख	0.038
		उचेहरा,	615/1	0.005
			614/1	0.004
			610/2/1	0.014
			608/1	0.013
			608/2/क	0.002
			608/3/क	0.008
			608/3/ख	0.013
			608/4	0.008
			607/2	0.028
			604	0.018
			602	0.023
			601/1	0.008
			758	0.027
			762/1	0.010
			762/2	0.026
			761/1	0.025
			761/2	0.025
			782/1	0.031
			783/3/1	0.033
			779/1/क/1	0.003
			779/2	0.013
			778	0.014
			773	0.025
			800	0.005
			801/1/1	0.022
			803/1	0.024
			804/2/1	0.015
			804/3	0.012
			805/2	0.020
			806	0.010
			809/1	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			809/2	0.019
			812/2/क	0.027
			813/2/2	0.013
			813/2/3	0.009
			814/1	0.005
			816	0.016
			817/1	0.021
			817/2	0.011
			818/1/क	0.022
			819	0.025
			324/2	0.021
			323	0.002
			322	0.011
			320/1	0.023
			319	0.002
			318/1	0.027
			318/2	0.006
			318/3	0.023
			315/1	0.002
			313/1	0.010
			292/1	0.002
			292/2/1	0.013
			292/2/2	0.012
			293	0.024
			298	0.009
			613/1	0.005
			624/1	0.009
			605	0.010
			757	0.014
			291	0.014
			294/2	0.001

क्र. 157-भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 930 दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-हडिया-1039 तहसील-नईगढ़ी जिला-रीवा से ग्राम हडिया 1039 तहसील नईगढ़ी जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह, अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	नईगढ़ी	हडिया-1039,	10	0.003
		पटवारी हल्का 26	12/2	0.024
		हडिया	13	0.012
			14	0.011
			16	0.012
			19/1	0.004
			18	0.009
			23	0.003
			26/1	0.006
			26/2	0.018
			40/1	0.007
			42	0.010
			43	0.012
			46/1	0.002
			45/5	0.007
			152/1	0.002
			152/2	0.005
			157/1	0.005
			156/1	0.002
			155/1	0.004
			155/2	0.012
			154/2	0.002
			200/1	0.011
			200/2	0.001
			213	0.017
			214	0.009
			215	0.009
			219/1/1	0.004
			220	0.016
			221	0.009

क्र. 158-भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 899 दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-तरौड़ा 425 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा से ग्राम-तरौड़ा 425 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह, अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	तरौड़ा-425, पटवारी हल्का 09 तडौरा	428/1 शा.ख.न. 422 मे 428/2 शा.ख.न. 425/2 मे 424 शा.ख.न. 421/1 मे 420/2/क 420/2/ख 418/2 418/3 418/4 418/5 418/6/ख 417/3 551/8 552/2 553/2 554/1/क 554/2 555 556 558/5 559/2 352/1 352/2 351 345/1/2 345/2/घ 349/1/क 350/1/क 338/1/क/1 338/2/क/2 338/2/ख/2 339/2/ख/1 326/2 236/1/क/1	0.026 0.008 0.010 0.007 0.007 0.018 0.012 0.022 0.011 0.011 0.014 0.004 0.021 0.001 0.016 0.015 0.029 0.021 0.018 0.002 0.013 0.002 0.004 0.017 0.002 0.002 0.029 0.001 0.009 0.008 0.003 0.026 0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			236/1/क/3	0.043
			241/2/क/1	0.015
			241/2/ख	0.050
			254/1/ख/1	0.003

क्र. 159-भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1071 दिनांक 22 अप्रैल 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-कोठार-149 तहसील-नईगढ़ी जिला-रीवा से ग्राम-कोठार 149 तहसील-नईगढ़ी जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह, अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	नईगढ़ी	कोठार-149,	227	0.034
		पटवारी हल्का 15	228	0.001
		पैकानगाँव,	226	0.024
			229	0.042
			230/1	0.004
			231/3	0.027
			235/2	0.028
			235/3	0.001
			238/1	0.011
			239/4	0.013
			240/1	0.011
			240/3	0.001
			241	0.015
			242/1	0.001
			243	0.013
			252	0.017
			129	0.001
			130	0.017
			131	0.019
			134	0.019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			135	0.013
			136/1	0.005
			136/3	0.015
			137	0.005
			115	0.042
			142/1	0.024
			143	0.003
			112/1/ग	0.029
			108/1	0.024
			108/2	0.023
			76/1	0.003
			75	0.002
			66/1	0.022
			66/2	0.024
			65	0.007
			64	0.007
			63/1	0.011
			37/1	0.013
			38	0.028

माला त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 20 अक्टूबर 2020

क्र. क्यू.आर-7031-भू-अर्जन-2020.- अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में एन.एच. 86 ग्राम धतूरिया हवेली से सौराई, आमाछार, चक्क जीवाजीपुर, ढोलखेड़ी (एस. एच. 19) रिंग रोड निर्माण हेतु तहसील विदिशा जिला विदिशा के ग्राम ढोलखेड़ी में मार्ग निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, जिसमें कि पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नहीं हो रहा है. निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची

एन.एच. 86 ग्राम धतूरिया हवेली से सौराई, आमाछार, चक्क जीवाजीपुर, ढोलखेड़ी (एस.एच. 19) रिंग रोड निर्माण

नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नं.	भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	कुल प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र बिहारी सिंह कुर्मी, ग्राम ढोलखेड़ी	414	0.334	0.334
	416/3	0.836	0.177

	420/1	0.126 1.296 हे.	0.021 0.532 हे.
श्री प्रकाश सिंह पुत्र बिहारी सिंह कुमी, ग्राम ढोलखेड़ी कुल —	413/3	1.881 3.177 हे.	0.272 0.804 हे.

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील विदिशा, जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 22 अक्टूबर 2020

क्र. 5879-भू-अर्जन-2020.- चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः 'भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (1) एवं (6) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1)	भूमि का वर्णन	
(क)	जिला	बालाघाट
(ख)	तहसील	किरनापुर
(ग)	नगर/ग्राम	बटरमारा
(घ)	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	0.150 हे. 0.024 हे. कुल रकबा 0.174 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्ति

ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
बटरमारा	कारुदास वल्द मंगलदास, नानीबाई पिता मंगलदास, फुलवंताबाई जौजे चंदूलाल डीमर	146/2	0.150
बटरमारा	भाविका पिता सुकचंद महार एवं अन्य	146/3	0.024
		कुल रकबा	0.174

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- पूनी बटरमारा मार्ग में वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में (ग्राम-बटरमारा तरफ) पड़ने वाली निजी भूमि के भू-अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट dmbalaghat@nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.) के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतू निर्माण संभाग जबलपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बैहर, दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्र. 6071-भू-अर्जन-2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बालाघाट	परसवाड़ा	ग्राम-समनापुर प.ह.न. 20/25 कृषकों की संख्या 29	17.20 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के रानी जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 6 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत समनापुर (उकवा) पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण

जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के रानी जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमिका अधिग्रहण प्रकरण

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

01

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

निरंक

(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	हाँ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है	हाँ
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	599.99 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

क्र. 6072-भू-अर्जन-2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बालाघाट	बैहर	ग्राम-कन्दई प.ह.न. 41 कृषकों की संख्या 02	6.83 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के मदारी डबरा जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 6 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम कन्दई (भण्डेरी) पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के मदारी डबरा जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	हाँ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है	हाँ

(आठ)	परियोजना की कुल लागत	665.89 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

क्र. 6073-भू-अर्जन-2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :-

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बालाघाट	परसवाड़ा	ग्राम-मानपुर प.ह.न. 42/25 कृषकों की संख्या 07	14.077 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के मानपुर जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 6 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत अमवाही पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के मानपुर जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	07
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	हाँ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है	हाँ
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	840.46 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

क्र. 6074-भू-अर्जन-2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बालाघाट	बैहर	ग्राम-कोपरो, प.ह.न. 15 कृषकों की संख्या 20	61.928 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के मीनकुर जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 1 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत गोहारा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के मीनकुर जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	हाँ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है	हाँ
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	1789.90 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

क्र. 6075-भू-अर्जन-2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बालाघाट	बैहर	ग्राम-बैजलपुर एवं सिजोरा, प.ह.न. 52 एवं 53 कृषकों की संख्या 06	1.856 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के बैजलपुर जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 6 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत सिजोरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के बैजलपुर जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	06
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	हाँ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	हाँ
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	522.89 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक.	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

क्र. 6076-भू-अर्जन-2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :-

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बालाघाट	बैहर	ग्राम-जत्ता रै., प.ह.न. 21 कृषकों की संख्या 05	0.796 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के पददीनाला जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 1 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत जत्ता (भण्डेरी) पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के पद्दीनाला जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	हाँ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	हाँ
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	572.84 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक.	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

क्र. 6077-भू-अर्जन-2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बालाघाट	परसवाड़ा	ग्राम-झाराखेड़ा/सहेजना प.ह.न. 40/11 कृषकों की संख्या 11	5.843 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के झारा जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 1 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वाह्न 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत सहेजना पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के झारा जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	11
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	निरंक

(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	हाँ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	हाँ
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	899.82 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक सामाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	प्रस्तावित सामाजिक सामाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक.	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

क्र. 6078-भू-अर्जन-2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बालाघाट	बैहर	ग्राम-पोला, प.ह.न. ग्राम पंचायत किनारदा कृषकों की संख्या 05	17.89 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के पोला जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 1 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पोला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के पोला जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	05
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	हाँ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	हाँ
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	3597.37 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक सामाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	प्रस्तावित सामाजिक सामाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक.	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

गुरु प्रसाद, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

(भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत)

कटनी, दिनांक 22 अक्टूबर 2020

क्र. 1336-अ.वि.अ.-भू.अ.-2020.- न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी कटनी, जिला कटनी के राजस्व प्रकरण क्रमांक-01-अ-82-भू.अ.-2020-21 म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 03 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया है, के द्वारा जिले के कलेक्टरों को समुचित सरकार माना गया है तथा भू-अर्जन प्रकरणों में 10,000 हे. (दस हजार हे.) से कम के प्रकरणों में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है, में निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है.

भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है. अध्यादेश में नया अध्याय IIIA लागू किया गया है जिसके अंतर्गत धारा 10(A) के अनुसार समुचित सरकार (जो कि अधिनियम की धारा 3(e) के अनुसार राज्य शासन है) को (धारा 9 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट एवं अध्याय-तीन के अनुसार इस धारा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं की दशा में जो दीर्घकालीन प्रकृति है, जैसे कि रेल, राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कें, सिंचाई नहरें, विद्युत लाईनें आदि लागू नहीं होंगे) उक्त के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओं में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानों से विमुक्त कर सकती है.

कटनी जिले में भारत सरकार के रेल मंत्रालय से स्वीकृत वृहद रेल परियोजना है जिसमें वृहद पुल निर्माण तथा उस पर रेल यातायात हेतु निर्माण कार्य जो देश व प्रदेश विकास, जनहित संबंधी है. अतः से अनुसूची में दर्शाये जा रहे प्रस्तावित प्रकरणों में भू-अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू-अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश दिनांक 31 दिसम्बर 2014 एवं 3 अप्रैल 2015 एवं 9 नवम्बर 2017 में दिये गये निर्देश एवं निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन से अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणों में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता है.

अनुसूची

प्रकरण में अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

जिला	तहसील	ग्राम	कुल प्रभावित खातेदारों की संख्या	कुल प्रभावित ख. नं.	अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का कुल रकबा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कटनी	कटनी	खिरहनी 28	12	12	1.89	कटनी-सिंगरौली
		कटंगीकला 29	04	04	0.97	डबलिंग परियोजना के अंतर्गत कटंगीखुर्द- झलवारा स्टेशन के मध्य कार्ड लाईन के निर्माण हेतु.
कुल योग		02	16	16	2.86	

अनुसूची

प्रकरण में अर्जन की जाने वाली शासकीय भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

जिला	तहसील	ग्राम	शासकीय भूमि के अर्जन का कुल रकबा हे.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कटनी	कटनी	खिरहनी 28	0.05	कटनी-सिंगरौली डबलिंग परियोजना के
		कटंगीकला 29	0.09	अंतर्गत कटंगीखुर्द-झलवारा स्टेशन के
				मध्य कार्ड लाईन के निर्माण हेतु.
	कुल योग	02	0.14	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशिभूषण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

कार्यालय, संयुक्त आयकर आयुक्त (छूट), रायपुर

टाईप-5, आयकर आवासीय परिसर, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.)

F.No. JCIT-EXEMPTION-RPR-Jurisdiction-2020-21.-

Raipur, the 5th October 2020

NOTIFICATION ORDER

Consequent upon Hon'ble Commissioner of Income Tax (E), Bhopal's order vide F.No.CIT(E)/BPL/Jurisdiction/2020-21, dated-05.10.2020 and in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and (2) of section 120 of the Central Board of Direct Taxes and all other powers enabling the undersigned in this behalf under the Income Tax Act, 1961 and in supersession of all earlier orders in this regard, I hereby makes the following amendments as a consequence to the aforesaid orders of Hon'ble CIT(E), Bhopal in Col.2 of the Schedule annexed hereto having their headquarters at the places specified in the corresponding entries in column(2) of the said schedule shall exercise the power and perform all the functions in respect of such cases or classes of cases as specified in Col. 4 in such territorial areas specified in the corresponding entries in column(3) of said Schedule.

SL	INCOME TAX AUTHORITIES	TERRITORIAL AREA	CASES OR CLASSES OF CASES
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1.	Income Tax Officer (Exemption), Jabalpur	(i) Revenue Districts of Jabalpur, Balaghat, Seoni, Chhindwara, Darnoh, Mandla, Sagar, Narsinghpur, Panna, Satna, Rewa, Sidhi, Shahdol, Katni, Umaria, Singrauli, Annupur and Dindori in the State of Madhya Pradesh.	(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry(i) in column(3) of this Schedule and claiming exemption under clause (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12 of the Income-tax Act, 1961.
2.	Income Tax Officer (Exemption)-I, Raipur	(i) Areas lying within the territorial jurisdiction of Pr.CIT-1, Raipur. [as per CBDT's Notification no. 50/2014 dated 22.10.2014]	(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry(i) in column(3) of this Schedule and claiming exemption under clause (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12 of the Income-tax Act, 1961.
3.	Income Tax Officer (Exemption)-II, Raipur	(i) Areas lying within the territorial jurisdiction of Pr.CIT-2, Raipur. [as per CBDT's Notification no. 50/2014 dated 22.10.2014]	(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry(i) in column(3) of this Schedule and claiming exemption under clause (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12 of the Income-tax Act, 1961.
4.	Income Tax Officer (Exemption), Bilaspur	(i) Areas lying within the territorial jurisdiction of Pr.CIT/CIT, Bilaspur. [as per CBDT's Notification no. 50/2014 dated 22.10.2014]	(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry(i) in column(3) of this Schedule and claiming exemption under clause (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12 of the Income-tax Act, 1961.

This notification shall come into force with effect from 13.08.2020.

Sd./-

(G. N. SINGH)

Joint Commissioner of Income Tax (Exemption).

OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTION)

2nd Floor, R.No. 204, Metro Walk Building, E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)-462016

F.No. JCIT-EXEMPTION-BPL-Jurisdiction-2020-21.-

Bhopal, the 5th October 2020

NOTIFICATION ORDER

Consequent upon Hon'ble Commissioner of Income Tax (E), Bhopal's order vide F.No.CIT(E)/BPL/Jurisdiction/2020-21, dated-05.10.2020 and in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and (2) of section 120 of the Central Board of Direct Taxes and all other powers enabling the undersigned in this behalf under the Income Tax Act, 1961 and in supersession of all earlier orders in this regard, I hereby makes the following amendments as a consequence to the aforesaid orders of Hon'ble CIT(E), Bhopal in Col.2 of the Schedule annexed hereto having their headquarters at the places specified in the corresponding entries in column(2) of the said schedule shall exercise the power and perform all the functions in respect of such cases or classes of cases as specified in Col. 4 in such territorial areas specified in the corresponding entries in column(3) of said Schedule.

SCHEDULE

SL	INCOME TAX AUTHORITIES	TERRITORIAL AREA	CASES OR CLASSES OF CASES
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1.	Dy./Asstt. Commissioner of Income tax, (Exemption), Bhopal	(i) Revenue Districts of Bhopal, Hoshangabad, Harda, Betul, Sehore, Vidisha, Raisen, Gwalior, Bhind, Datia, Shivpuri, Morena, Guna, Ashok Nagar, Sheopor, Chhatarpur, Tikamgarh, Dhar, Indore, Khandwa, Khargone, Burhanpur, Barwani, Dewas, Ujjain, Ratlam, Shajapur, Mandsaur, Neemuch, Agar, Malwa, Rajgarh, Jhabua and Alirajpur in the State of Madhya Pradesh.	(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry(i) in column(3) of this Schedule and claiming exemption under clause (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12 of the Income-tax Act, 1961.

		(ii) All the Revenue District in the State of Madhya Pradesh excluding <i>revenue district of Jabalpur as mentioned in sub point(1) of column(3) of Sr. No. 2.</i> (iii) All the Revenue Districts in the State of Chhattisgarh. AND (iv) Revenue Districts of Jabalpur, Balaghat, Seoni, Chhindwara, Damoh, Mandla, Sagar, Narsinghpur, Panna, Satna, Rewa, Sidhi, Shahdol, Katni, Umaria, Singrauli, Annupur and Dindori in the State of Madhya Pradesh.	(ii) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry (ii) in Column (3) of this Schedule and claiming exemption u/s 13A and u/s 13B of the Income-tax Act, 1961. (iii) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry (iii) in column(3) of this Schedule and claiming exemption under clause (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12 of the Income-tax Act, 1961. (iv) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry (iv) in Column (3) of this Schedule and claiming exemption u/s 13A and u/s 13B of the Income-tax Act, 1961
2.	Income Tax Officer (Exemption), Bhopal	(i) Revenue Districts of Bhopal, Hoshangabad, Harda, Betul, Sehore, Vidisha, Raisen in the State of Madhya Pradesh.	(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry (i) in column (3) of this Schedule and claiming exemption under clause (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12 of the Income-tax Act, 1961.
3.	Income Tax Officer (Exemption), Gwalior	(i) Revenue Districts of Gwalior, Bhind, Datia, Shivpuri, Morena, Guna, Ashok Nagar, Sheopur, Chhatarpur and	(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry (i) in column(3) of this Schedule and claiming exemption under clause

		Tikamgarh in the State of Madhya Pradesh.	(21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12 of the Income-tax Act, 1961.
4.	Income Tax Officer (Exemption), Indore	(i) Revenue Districts of Indore, Dhar, Khandwa, Khargone, Burhanpur and Barwani in the State of Madhya Pradesh.	(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry (i) in column (3) of this Schedule and claiming exemption under clause (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12 of the Income-tax Act, 1961.
5.	Income Tax Officer (Exemption), Ujjain	(ii) Revenue Districts of Ujjain, Dewas, Ratlam, Shajapur, Mandsaur, Neemuch, Agar, Malwa, Rajgarh, Jhabua and Alirajpur in the State of Madhya Pradesh.	(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry(i) in column(3) of this Schedule and claiming exemption under clause (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12 of the Income-tax Act, 1961.

This notification shall come into force with effect from 13.08.2020.

Sd./-

(G. N. SINGH)

Joint Commissioner of Income Tax (Exemption).

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

क्र. 78-2020-CLR-भू-सर्वेक्षण-2020.-

रवालिपर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मुरैना	अम्बाह	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	मुरैना	मुरैना	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	मुरैना	जौरा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	मुरैना	पोरसा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	मुरैना	सबलगढ़	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	मुरैना	कैलारस	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	मुरैना	बामौर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	मुरैना	मुरैना नगर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

क्र. 77-2020-CLR-भू-सर्वेक्षण-2020.-

ग्वालियर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सागर	सागर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	सागर	खुरई	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	सागर	बन्डा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	सागर	रहली	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	सागर	गढ़ाकोटा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	सागर	बीना	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	सागर	देवरी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	सागर	केसली	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
9	सागर	राहतगढ़	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
10	सागर	मालथौन	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
11	सागर	शाहगढ़	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
12	सागर	जैसीनगर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
13	सागर	सागर नगर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 175.-

शिवपुरी, दिनांक 21 अक्टूबर 2020

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम कालीपहाडी तहसील पिछोर जिला-शिवपुरी में कुल 0.87 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

अनुसूची

अनुसूची					धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूगि का विवरण						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	रकवा हैं.		
शिवपुरी	पिछोर	कालीपहाडी	11	0.12 ✓	परियोजना प्रबंधक और नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलों जिला शिवपुरी (म.प्र.)	लोअर और वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य
			198	0.03		
			326/1	0.38		
			329	0.01		
			437/1	0.05		
			433/1	0.02 ✓		
			437/2	0.09		
			429/2	0.17		
कुल किता 8 रकवा 0.87						

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक और नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलों, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे।

सं. 176.-

शिवपुरी, दिनांक 22 अक्टूबर 2020

जहाँ सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ वीरपुर ग्राम पिछोर तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) शिवपुरी जिला में कुल 17.24 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्, 1
इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 17.24 हेक्टेयर है जो ग्राम वीरपुर तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) पिछोर जिला शिवपुरी में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हे.)	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	संरचनाओं आदि का ब्यौरा		
							किस	संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	982/2	भूमि स्वामी	असिंचित	1.00	0.01	पानकुवर वेवा लक्ष्मण सोनू राबेन्द्र राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मण सोनम पुत्री लक्ष्मण जाति कोरी			
2	982/3	भूमि स्वामी	असिंचित	1.00	0.07	खुमान पुत्र कलुवा जाति जाटव			
4	982/4	भूमि स्वामी	असिंचित	1.00	0.10	ईदल मनोज पुत्र प्यारेलाल स्वना पुषा बर्षा पुत्री प्यारेलाल मु. कपूरी वेवा प्यारेलाल जाति जाटव			
5	982/5	भूमि स्वामी	असिंचित	1.06	0.07	दयाराम पुत्र भैरो जाति जाटव			
3	990	भूमि स्वामी	सिंचित	2.17	0.02	दयाराम वृजलाल पुत्र लाडले 2/3 भगवानदास पुत्र अनंदा 1/3	कुआ पक्का	1	
	985			2.0	1.77		कुआ कच्चा	1	
6	984		असिंचित	0.72	0.14	मु. तारावाई वेवा रामसेवक रुद्रकुमार रविशंकर पुत्र रामसेवक समता देवी पुत्री 1/4			
	67		सिंचित	0.09	0.02	रामस्वरूप मोहन स्वरूप रामजीलाल पुत्र वैजनाथ 3/4			
	68	भूमि स्वामी	असिंचित	0.30	0.16				
	1028/59		सिंचित	0.67	0.02				
7	971	भूमि स्वामी	असिंचित	3.11	0.86	कौमलप्रसाद पुत्र बल्ला 1/16 फेरन पुत्र बल्ला 1/16 मूंगाराम पुत्र बल्ला 1/16 शांति पुत्री बल्ला 1/16 हर्षा पुत्र बुद्धा 1/4 इमरत पुत्र धर्मा हि. 1/16 अमरसिंह पुत्र धर्मा 1/16 रयासी वेवा धर्मा 1/16 रतिराम पुत्र मलखान 1/48 देवेन्द्र पुत्र मलखान 1/48 जसोदा पुत्री मलखान 1/48 कौमलप्रसाद फेरनसिंह मूंगाराम पुत्र बल्ला शांति पुत्री बल्ला म. प्रेम पति मलखान सुमित्रा पति अमरलाल मीता पति अमरसिंह 1/4	कुआ पक्का	2	
8	979	भूमि स्वामी	असिंचित	2.00	0.98	मुनीवाई पति रघुवीरप्रसाद जाति कोरी			
9	975/1	भूमि स्वामी	असिंचित	1.05	0.08	धर्मनंदकुमार राहुल पुत्र सीताराम श्रीमती कौशल्या पत्नी राजकुमार जाति गडरिया	कुआ पक्का	1	

10	975/2	भूमि स्वामी	असिंचित	1.04	0.47	धर्मचक्रामार राहुल पुत्र सीताराम श्रीमती कौशल्या पत्नी रामकुमार जाति गडरिया 1/2 मुन्नी पति मानसिंह जाति गडरिया 1/2			
11	921	भूमि स्वामी	असिंचित	7.20	1.17	मेहरवान पुत्र अछेलाल नंदलाल मिहीलाल पुत्र कुन्जलाल जाति रजक			
12	485/2	भूमि स्वामी	असिंचित	0.98	0.63	रामकली पुत्री पट्टराम पति रामदास जाति बहग्य			
13	486	भूमि स्वामी	असिंचित	4.75	0.72	धनिया वेवा धनुवा 1/12 फुलसिंह पुत्र धनुआ 1/12 सतराम पुत्र धनुआ 1/12 रामश्री पुत्री धनुआ 1/12 लखू पुत्र पतुआ 1/3 भगवानदास पुत्र लखनलाल 1/24 शिशुपाल पुत्र लखनलाल 1/24 मनोज पुत्र लखनलाल 1/9 देशराज पुत्र पतुआ 5/24			
14	491	भूमि स्वामी	असिंचित	1.14	0.07	मोतीलाल पुत्र सुन्दरलाल प्रेमलता सरोज मन्जूलता पुत्री मोतीलाल			
15	495	भूमि स्वामी	असिंचित	1.62	0.83	सीताराम पुत्र लक्ष्मणप्रसाद जाति ब्रा			
16	729	भूमि स्वामी	असिंचित	0.37	0.19	कमलकांत पुत्र सीताराम 1/8 सुमित पुत्र सीताराम 1/8 रामानंद पुत्र लक्ष्मणप्रसाद जाति ब्राह्मण 3/4			
17	730	भूमि स्वामी	असिंचित	0.39	0.17				
	731	भूमि स्वामी	असिंचित	0.03	0.03	गोविन्दास हरवान श्रीराम पुत्र जयशम 7/16 रामवती प्रेमवती पुत्री जयशम 1/24			
	732	भूमि स्वामी	असिंचित	0.05	0.04	गोविन्दास हरवान श्रीराम पुत्र जयशम 1/48 वायलाल प्रेमा सेवलाल श्रीपत पुत्र पतुआ सगुनिया वेवा पतुआ 1/4 किशना पुत्र पहलू 1/4			
	733	भूमि स्वामी	असिंचित	0.32	0.01	मु. रेना पति हक्कूलाल 1/6 नौमा रेना पुत्री मनुवा 1/3 आशाराम डरुवा पुत्र ग्यासी 1/4 विक्रम पुत्र गेवू 1/8 गिरजा पति रघुवीर जाति गडरिया 1/8			
	734	भूमि स्वामी	असिंचित	0.38	0.06				
	684	भूमि स्वामी	असिंचित	0.11	0.01				
18	681	भूमि स्वामी	असिंचित	0.15	0.05	सीताराम रामानन्द पुत्र लक्ष्मण प्रसाद हि. 1/2 आशाराम डरुआ पुत्र ग्यासी हि. 1/2			
	679	भूमि स्वामी	असिंचित	0.20	0.06				
	721	भूमि स्वामी	असिंचित	0.08	0.05				
19	682	भूमि स्वामी	असिंचित	0.14	0.07				
	722	भूमि स्वामी	असिंचित	0.13	0.01				
20	720	भूमि स्वामी	असिंचित	0.03	0.03	गोविन्दास पुत्र जयशम हि. 19/20 अमरलाल मुकेशकुमार पुत्र गोविन्दास हि. 41/120 प्रेमा वायलाल सेवलाल श्रीपत पुत्र पतुआ हि. 1/4 किशना पुत्र पतुआ हि. 1/4			
	719	भूमि स्वामी	असिंचित	0.05	0.02				
21	683	भूमि स्वामी	असिंचित	0.11	0.08	मुन्नालाल पुत्र रामदास मु. रामकली वेवा रामदास कल्पना पति रुद्रकुमार			
	69	भूमि स्वामी	असिंचित	0.12	0.12				
22	667	भूमि स्वामी	असिंचित	0.12	0.05	आशा पति हईलाल 2/3. हईलाल पुत्र पुतुवा 1/3			
	678	भूमि स्वामी	असिंचित	0.25	0.10				
23	687	भूमि स्वामी	असिंचित	0.10	0.01	वनवालीलाल पुत्र नारायणदास 1/2 अशोक पुत्र नारायणदास 1/2			
	241	भूमि स्वामी	असिंचित	0.90	0.24				
	58	भूमि स्वामी	असिंचित	1.07	0.38	शिवशंकर रामकुमार शारदाशरण राजेन्द्रकुमार मुरारीलाल नरेशकुमार राजेशकुमार पुत्रगण रुपनारायण जाति ब्रा			
24	393	भूमि स्वामी	असिंचित	0.39	0.20				
	662	भूमि स्वामी	असिंचित	0.15	0.13				

25	671 670 672 57	भूमि स्वामी भूमि स्वामी	असिद्धित सिद्धित	0.15 0.14 0.15 0.26	0.08 0.09 0.04 0.02	कृष्णकुमार पुत्र हरचरण जाति ब्रा. 1/2 आदित्यकुमार पुत्र हरचरण जाति ब्रा. 1/2			
26	661 394 395 397	भूमि स्वामी	असिद्धित	0.32 0.07 0.26 0.14	0.06 0.06 0.06 0.03	नरेशकुमार पुत्र हरशंकर 1/2 प्रमोदयाल हरशंकर पुत्र पन्नालाल सुमित्रा पुत्री पन्नालाल 3/8 अशोककुमार महेन्द्रकुमार राजकुमार पुत्र नाथूराम काति गुडडी वेनिया पुत्री नाथूराम अवधकुमार वेवा नाथूराम 1/8			
27	592 595 392 44	भूमि स्वामी	असिद्धित	0.62 0.04 0.51 0.37	0.46 0.04 0.16 0.03	मखनिया पति जुराज 1/15 जुराज पुत्र बलदेव 1/15 चक्ता पुत्र बलदेव 1/15 हरवान पुत्र बलदेव 1/15 मथिया पुत्री बलदेव 1/15 रती पुत्री खुविया 1/48 वृजमान पुत्र खुविया 5/48 घनश्याम पुत्र खुविया 5/48 कलल पुत्र खुविया 5/48 शिवदास पुत्र वारलाल 1/6 तुलसा वेवा वारलाल 1/6			
28	591 589 594	भूमि स्वामी	असिद्धित	0.10 0.10 0.06	0.06 0.06 0.04	हरशंकर प्रमोदयाल पुत्र पन्नालाल सुमित्रा पुत्री पन्नालाल 3/16 अशोककुमार महेन्द्रकुमार राजकुमार पुत्र नाथूराम गुडडी काति वेनिया पुत्री नाथूराम अवधकुमार वेवा नाथूराम 1/16			
29	584 588 596 597 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608	भूमि स्वामी	असिद्धित	1.35 0.35 0.12 0.15 0.11 0.02 0.07 0.05 0.16 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05	0.11 0.01 0.12 0.03 0.07 0.01 0.07 0.04 0.10 0.03 0.02 0.05 0.04 0.01	उध्दा चउवा मुन्ना पुत्र उमराव 3/10 बाईदे पुत्री हन्ना 1/30 अकलवती पुत्री हन्ना 1/30 सरोज पुत्री हन्ना 1/30 हरप्रसाद पुत्र कलुआ 3/80 रामचरण पुत्र मणी 1/40 हरकू पुत्री कलुआ 3/80 अकलवती पति चतरी 1/4 मनीराम पुत्र रसुआ 1/8 महेशकुमार मोहनलाल राजकुमार अनिलकुमार पुत्र छोटेला जाति कोरी 1/8			
30	583	भूमि स्वामी	असिद्धित	1.19	0.17	पु. अकलवती पति चतरी जाति कोरी			
31	100	भूमि स्वामी	असिद्धित	0.34	0.23	वनवारीलाल पुत्र नारायणदास 1/4 अशोक पुत्र नारायणदास 1/4 ठकुरीया पुत्री जलमा 1/6 रामरति वेवा गुपला 1/12 धनीराम पुत्र गुपला 1/12 खेमराज पुत्र जलमा 1/6	कुआ कच्चा	1	

32	99	भूमि स्वामी	असिंचित	0.31	0.01	रुद्रकुमार रविशंकर पुत्र रामसेवक ममता देवी पुत्री रामसेवक मु. तारादाई देवा रामसेवक रामस्वारूप मोहनस्वारूप रामजीलाल पुत्र वैजनाथ मु. मिथलावाई देवा हीरालाल 1/2 ओमकारलाल पुत्र रामचरणलाल 1/4 रामदास पुत्र रामसेवक 1/4			
	70			0.03	0.02				
	71			0.04	0.04				
33	72	भूमि स्वामी	असिंचित	0.06	0.03	वैजनाथ पुत्र श्यामलाल 1/2 वनमाली अशोक पुत्र नारायणदास 1/2			
	74			0.07	0.01				
	96			0.95	0.21				
34	59	भूमि स्वामी	असिंचित	0.20	0.20	मिथलावाई देवा हीरालाल जाति ब्रा.			
35	53	भूमि स्वामी	सिंचित	1.01	0.24	हरिशंकर अरविन्द्र पुत्र रामसेवक 3/4 कुसमा वसन्ती पुत्री रामसेवक 1/4 जाति ब्राह्.			
36	49	भूमि स्वामी	सिंचित	2.28	0.64	हरिशंकर अरविन्द्र पुत्र रामसेवक कुसमा वसन्ती पुत्री रामसेवक जाति ब्राह्.			
	50			0.27	0.08	मु. रामो वाई देवा कल्याणसिंह धर्मवीर नरेश पुत्र कल्याणसिंह रामदेवी नातली राखी साधना पुत्री कल्याण 1/8 रामसिंह हरदयाल महेशकुमार पुत्र भैरो मु. मुनिया देवा भैरो गुडडी रामकुंवर पुत्री भैरो 6/8 रामसहाय पुत्र हरिशंकर अरविन्द्र पुत्र रामसखे 1/8			
37	46	भूमि स्वामी	असिंचित	0.31	0.20				
38	237	भूमि स्वामी	सिंचित	1.41	0.01	गोविन्दसिंह भूसेसिंह शोभाराम पुत्र महाराजसिंह कलावती ज्ञान गौरा पुत्री महाराजसिंह 1/4 काशीराम शालिग्राम पुत्र वैतालसिंह 1/4 रामस्वारूप पुत्र वैजनाथ 1/2			
39	238 / 1	भूमि स्वामी	असिंचित	0.32	0.09	केशवसिंह पुत्र खुशालसिंह 1/3 हिदेशकुमार पुत्र खुशालसिंह 1/3 मनोजकुमार पुत्र खुशालसिंह 1/3			
40	238/2	भूमि स्वामी	असिंचित	0.32	0.16	करनसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति पाल			
	239/2		सिंचित	0.65	0.13				
41	258 / 1	भूमि स्वामी	असिंचित	1.32	0.10	प्रेमलता पुत्र मोतीलाल हि. 1/2 कमलसिंह पुत्र जगना हि. 1/2			
42	251	भूमि स्वामी	असिंचित	1.24	0.12	नाथूराम पुत्र बच्चलाल 1/2 लीलावाई देवा रामकिशन नरेन्द्रकुमार पुत्र रामकिशन सविता पुत्री रामकिशन 1/2			
43	256	भूमि स्वामी	सिंचित	0.81	0.20	सहोदा देवा बाबूलाल कैलाश प्रकाश प्रमोद नारायण रविशंकर शम्भूदयाल पुत्र बाबूलाल सुननदेवी पुत्री बाबूलाल 1/6 कैलाशनारायण प्रमोद रविशंकर शम्भूदयाल पुत्र बाबूलाल 2/3 प्रभा पुत्री सुखनन्दन 1/6			
44	254	भूमि स्वामी	असिंचित	0.62	0.21	घनश्याम मृगाराम पुत्र बोरलाल			
45	817 / 2	भूमि स्वामी	असिंचित	0.70	0.12	शालिकराम पुत्र बहादुरसिंह जाति पाल			
46	818	भूमि स्वामी	असिंचित	0.45	0.16	दयाराम पुत्र निरमा सोमती सरमन कली पुत्री निरमा मु. मुनिया देवा निरमा 1/2 कमलेश वा. बृजेश बृजगन नावा. पुत्र भगवानदास 1/6 शिवकुमार नरेन्द्र अंकेश नावा पुत्र भागीरथ सर पिता 1/6 शिवदयाल पुत्र रक्षा 1/6 जाति धोवी			

47	820	भूमि स्वामी	सिंचित	1.50	0.26	मीरा पत्नि भगवानदास राजकुमारी पत्नि भागीरथ फूलवती पत्नि शिवदयाल		
48	995	भूमि स्वामी	असिंचित	1.22	0.16	पिताराम लालाराम रामरतन पुत्र पतुआ देवलाल रामसिंह पुत्र बाबूलाल रामकली वेवा		
	986			0.51	0.40	बाबूलाल		
49	972/1	भूमि स्वामी	असिंचित	0.75	0.06	प्राणी सल्ले पुत्र दीना मु. विनिया वेवा दीना ममता पुत्री दीना हि. 1/48 सिरनाम पुत्र		
						रमासी हि. 1/12 कमलेश या शृजरा शृगमान शृजरा नाया पुत्र भगवानदास सर माई हि. 1/18 शिवकुमार नरेश अकेश नाया पुत्र भागीरथ सर पिता हि. 1/18 शिवदयाल पुत्र रक्षा हि. 1/18 दशराम पुत्र निरमा अरिमा जेवर निरमा सोमरी सरमन रामकली पुत्री निरमा हि. 1/6 हरपा कुन्जा पुत्र स्थीरा विनिया जनुनीया पुत्री स्थीरा हि. 1/4 युगराज पुत्र वडोरा हि. 1/4 वारेलाल प्रमा शिवलाल श्रीपत पुत्र पतुआ मु. सुनिया वेवा पतुआ हि. 1/4		
50	492	भूमि स्वामी	सिंचित	1.51	0.65	छोटलाल पुत्र निस्थारी हि. 1/4 मु. सरमन वेवा अरजुनसिंह मुलायम संग्राम जगराजसिंह पुत्र अरजुनसिंह 1/4 मेवालाल भमरसिंह पुत्र तखतसिंह मनको गुडडी पुत्री तखतसिंह हि. 1/4 रामनिवास पुत्र सुन्दरलाल हि. 1/8 नन्धरी पत्नि रामशरण हि. 1/8 जाति पुरोहित		
						जगदीप्रसाद उपेन्द्रकुमार अनिलकुमार पुत्र मन्मूलाल रुपा उर्मिला पुत्री मन्मूलाल जाति ब्रा		
51	739	भूमि स्वामी	असिंचित	0.19	0.02	कौशिया वेवा रतना जाति बराहर		
52	920	भूमि स्वामी	असिंचित	0.85	0.01			
कुल किता 101		कुल रकवा 17.24						

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए सम्भावित कुटुम्ब की संख्या निम्न है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौहा पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाने या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

सं. 185.-

शिवपुरी, दिनांक 29 अक्टूबर 2020

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ बाचरौन ग्राम पिछोर तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) शिवपुरी जिला में कुल 12.40 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्, इस लिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 12.40 हेक्टेयर है जो ग्राम बाचरौन तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) पिछोर जिला शिवपुरी में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हे.)	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	संरचनाओं आदि का ब्यौरा		
							किस्म	संख्या	प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	1191/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.16	0.11	लक्ष्मण परमेश्वर दास भागीरथ पुत्र कम्मोद वैनी ललतिा पुत्री कम्मोद मु. फुन्दी वैवा कम्मोद जाति लोधी			
2	1190/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.09	0.05	कलिया गोमा पिस्ता हसमुखी पुत्री दरयाव जाति लोधी			
3	1190/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.25	0.13	मुकेश पुत्र हरचरण कलिया वैवा हरचरण जाति लोधी			
4	1190/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.25	0.14	मनीराम पुत्र निरमे जाति लोधी			
5	1195/7	भूमि स्वामी	सिंचित	0.15	0.01	सुन्दरलाल पुत्र वजलाल जाति लोधी			
6	1189/2	भूमि स्वामी	असिंचित	0.08	0.05	सीताराम पुत्र निरमे जाति लोधी			
7	1195/8	भूमि स्वामी	सिंचित	0.15	0.01	कमला पाना पुत्री वजलाल जाति लोधी			
8	1189/3	भूमि स्वामी	असिंचित	0.03	0.02	कैलाश पुत्र लाडले जाति लोधी			
9	1188/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.10	0.01	वालकिशन हुकुमसिंह पुत्र हरदास कामता मुखी रामदेवी पुत्री			
10	1188/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.03	0.03	हरदास हरकु वैवा हरदास जाति लोधी			
11	1185/1	भूमि स्वामी	असिंचित	0.50	0.24	बालकिशन पुत्र हरदास जाति लोधी			
12	1185/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.20	0.14	रघुवीर शिवदयाल पुत्र हरपा पारवती करतुरी पुत्री हरपा जाति लोधी			
13	1184/1	भूमि स्वामी	असिंचित	0.34	0.28	सिरनाम पीतम पुत्र चतरी मुन्नी लीला रामकुमारी पुत्री चतुरा			
14	1184/2	भूमि स्वामी	असिंचित	0.52	0.24				

12	1185/3			0.53	0.06	हि. 2/3 पांचो हरकू पुत्री कम्मोदा 1/3 जाति लोधी				
13	1203 770	भूमि स्वामी	सिंचित	0.64 0.07	0.03 0.04	विश्वेश्वरशरण पुत्र औकारदास जाति पंसासी				
14	1204/2/8	भूमि स्वामी	सिंचित	0.16	0.02	रामपाल पुत्र बदीप्रसाद जाति लोधी				
15	1204/2/9	भूमि स्वामी	सिंचित	0.16	0.16	करतार पुत्र बदीप्रसाद जाति लोधी				
16	1204/2/10	भूमि स्वामी	सिंचित	0.16	0.02	कामता वेवा बदीप्रसाद जाति लोधी				
17	1204/3	भूमि स्वामी	सिंचित	1.60	0.37	विश्वेश्वरशरण पुत्र औकारदास 37/40 राजेन्द्रकुमार पुत्र ज्ञानचन्द्र 11/160 सुल्तानवेग पुत्र अनवर बेग जाति मुसलमान 1/160				
18	1207/1/1	भूमि स्वामी	सिंचित	1.37	0.28	विस्सी पुत्र गजजू 12/137 रामेश्वर राकेश पुत्र पर्वतसिंह 2250 वर्गफिट 2/137 ध्रुव नावा पुत्र शोभाराम सर. चाचा विजय पुत्र विस्सी विनोद पुत्र करनसिंह अभित सुमित नावा पुत्र विजयसिंह सर पिता विजयसिंह 55/137 श्री मति शशी देवी पति राजेशकुमार 1/137 विश्वेश्वर पुत्र ओमकार 4/137 सावित्री पति अशोककुमार 1/137 रानी पति राजेन्द्र 1/137 कुसुम वेवा मनीराम 1/2877 सजीव पुत्र रामरतन 1/411 शोभा पति सुरेन्द्र 1/411 सतीश पुत्र मनीराम 1/2877 नीलेश पुत्र मनीराम 1/2877 सखित पुत्र मनीराम 1/2877 रानी पुत्री मनीराम 1/2877 पूजा पुत्री मनीराम 1/2877 मीना पुत्री मनीराम 1/2877 परमालसिंह विशालसिंह पुत्र संग्राम 1/137 करनसिंह विक्रमसिंह पुत्र विस्सी 38/137 सु. वती वेवा शोभाराम ध्रुव नावा. पुत्र शोभाराम खुशबू बन्दना सपना लक्ष्मी नावा. पुत्री शोभाराम सर माँ 20/137 सुरेश पुत्र रामदास 1/137				
19	1221 /	भूमि स्वामी	सिंचित	0.61	0.32	मिठनलाल सुरेश पुत्र आशाराम 2/3 विमला वेवा नारायणदास जितेन्द्र पुत्र नारायणदास 1/3 जाति तेली				
20	1222 1224 1227	भूमि स्वामी भूमि स्वामी भूमि स्वामी	सिंचित सिंचित सिंचित	0.34 0.19 0.08	0.15 0.12 0.04	आशाराम पुत्र मुल्ला जाति तेली				

1230	भूमि स्वामी	सिंचित	0.13	0.09	कपूरी पत्नि देशराज जाति तेली
1220	भूमि स्वामी	सिंचित	0.24	0.11	
1226	भूमि स्वामी	सिंचित	0.14	0.03	
1232	भूमि स्वामी	सिंचित	0.12	0.02	
1229	भूमि स्वामी	सिंचित	0.14	0.08	
1228	भूमि स्वामी	सिंचित	0.24	0.05	गोरिलाल पुत्र मुल्ला 1/3 अख्तेलाल फूलसिंह उमेशकुमार पुत्र गोरिलाल 2/3 जाति धोवी
1241	भूमि स्वामी	सिंचित	0.04	0.02	
1242	भूमि स्वामी	सिंचित	0.67	0.31	
1239	भूमि स्वामी	सिंचित	0.82	0.01	शांति वेवा प्यारलाल सिरनाम मुतिया पुत्र प्यारलाल जाति तेली
1240	भूमि स्वामी	सिंचित	0.20	0.07	हिन्दू पुत्र रज्जू 3/5 संतोश पहलवान पुत्र हिन्दू 2/15 प्रेमनारायण पुत्र मुलायम 1/15 मिथला पत्नि चरणसिंह 1/5 जाति लोधी
1264	भूमि स्वामी	सिंचित	0.51	0.34	चरणसिंह पुत्र खलकसिंह जाति लोधी
1266	भूमि स्वामी	सिंचित	0.21	0.11	रायसिंह कल्याण सोहनसिंह विधाराम पुत्र हरवान अटस्था
1269	भूमि स्वामी	सिंचित	0.43	0.21	पुत्री हरवान जाति लोधी
1270/1	भूमि स्वामी	असिंचित	0.08	0.04	आसाराम पुत्र गनपत जाति लोधी
1275	भूमि स्वामी	असिंचित	0.28	0.11	
1270/2	भूमि स्वामी	असिंचित	0.27	0.14	रामसेवक पुत्र हरदास 1/4 संजीव पुत्र हईलाल 1/4 रायसिंह कल्याण विधाराम सोहनसिंह पुत्र हरवान अटस्था पुत्री हरवान जाति लोधी 1/2
1276	भूमि स्वामी	असिंचित	0.23	0.11	हराराम पुत्र कसिया 1/2 देशराज मनीराम पुत्र मानसिंह 1/2 जाति लोधी
1277	भूमि स्वामी	सिंचित	0.24	0.06	
1353	भूमि स्वामी	सिंचित	3.76	0.98	लक्ष्मण पुत्र रघुआ जाति गडरिया
771	भूमि स्वामी	असिंचित	0.11	0.09	शोभाराम पुत्र सिरनाम 1/5 रसरानी वेवा हरवान बाबूलाल पुत्र हरवान 1/5 ज्ञाना पुत्री चुक्की 1/5 पूरन पुत्र रुपलाल सिरकू पुत्री रुपलाल 1/5 अबधरानी वेवा मन्नु श्रेस विजयराम रामकिशन पुत्र मन्नु जाति लोधी 1/5
773	भूमि स्वामी	सिंचित	0.09	0.06	आनंद कुमार पुत्र रामजीलाल 1/2 हरीराम सूबालाल पुत्र महाराजसिंह 5/12 अजुददी दयावती पुत्री महाराजसिंह 1/12
772	भूमि स्वामी	असिंचित	0.12	0.05	
774	भूमि स्वामी	असिंचित	0.08	0.07	

34	775	भूमि स्वामी	सिंचित	0.06	0.02	सुन्ती पत्नि भैरो 1/2 रोसन पुत्र मलखान 1/4 नाथूराम पुत्र झगड़ 1/4 जाति लोधी				
35	764	भूमि स्वामी	सिंचित	0.06	0.05	नाथूराम पुत्र अर्जन गोरा वेवा अर्जन फूला रमकू पुत्री अरजन जाति लोधी				
36	765	भूमि स्वामी	सिंचित	0.05	0.01	भैरो पुत्र रामदीन जाति लोधी				
37	763	भूमि स्वामी	सिंचित	0.41	0.12	कोमल चन्दन मुलायम पुत्र भैरो जाति लोधी				
38	605	भूमि स्वामी	सिंचित	0.03	0.02	रामदास पुत्र विन्दी छितिया रधिया पुत्री विन्दी 5/8				
	606	भूमि स्वामी	सिंचित	0.09	0.06	हनुमंतसिंह पुत्र मोतीलाल शीला दसिया पुत्री मोतीलाल मु.				
	607	भूमि स्वामी	सिंचित	0.06	0.05	रसरानी वेवा मोतीलाल 1/8 कुवरराज पुत्र मंगली 1/4				
	608	भूमि स्वामी	सिंचित	0.05	0.02	राजकुमार पुत्र नवलकिशोर 1/8 सन्तोसकुमार इन्दरसिंह				
	760	भूमि स्वामी	सिंचित	0.31	0.12	पुत्र बृजलाल जाति लोधी 1/8				
	762	भूमि स्वामी	सिंचित	0.11	0.11	मिथला पत्नि मोतीलाल सोना पत्नि रामगोपाल विनना पत्नि रुपलाल जाति लोधी				
39	767	भूमि स्वामी	सिंचित	0.17	0.10	सीताराम रमेश हरभजन पुत्र देवराज 1/2 मेवालाल पुत्र दयाराम जाति लोधी 1/2				
40	603	भूमि स्वामी	असिंचित	0.08	0.08	कुवरराज पुत्र मंगली 1/3 राजकुमार पुत्र नवलकिशोर 1/12 सन्तोसकुमार इन्दरसिंह पुत्र बृजलाल 1/12 सीताराम रमेश हरभजन पुत्र देवराज 1/4 रामदास पुत्र विन्दी 1/4 जाति लोधी				
41	599	भूमि स्वामी	असिंचित	0.26	0.13	कुवरराज पुत्र मंगली 1/16 छितिया पुत्री मंगली रधिया पुत्री विन्दी रामदास प्यारलाल पुत्र विन्दी हनुमंतसिंह पुत्र मोतीलाल शीला दसिया पुत्र मोतीलाल रसरानी वेवा				
	600	भूमि स्वामी	असिंचित	0.18	0.12	मोतीलाल 1/4 सीताराम रमेश हरभजन पुत्र देवराज 9/40 मेवालाल पुत्र दयाराम 9/40 रोशनलाल पुत्र मेहस्सन 1/20 ओमकार पुत्र अरजन 1/6 राजकुमार पुत्र नवलकिशोर 1/12 सन्तोसकुमार इन्दरसिंह पुत्र बृजलाल जाति लोधी 1/12				
42	602	भूमि स्वामी	असिंचित	0.04	0.04	कुवरराज पुत्र मंगली 1/16 छितिया पुत्री मंगली रधिया पुत्री विन्दी रामदास प्यारलाल पुत्र विन्दी हनुमंतसिंह पुत्र मोतीलाल शीला दसिया पुत्र मोतीलाल रसरानी वेवा				
	465	भूमि स्वामी	सिंचित	0.58	0.19	मोतीलाल 1/4 सीताराम रमेश हरभजन पुत्र देवराज 9/40 मेवालाल पुत्र दयाराम 9/40 रोशनलाल पुत्र मेहस्सन 1/20 ओमकार पुत्र अरजन 1/6 राजकुमार पुत्र नवलकिशोर 1/12 सन्तोसकुमार इन्दरसिंह पुत्र बृजलाल जाति लोधी 1/12				
	598	भूमि स्वामी	सिंचित	0.13	0.07	कुवरराज पुत्र मंगली 1/2 राजकुमार पुत्र नवलकिशोर 1/4 सन्तोसकुमार पुत्र बृजलाल 1/4				
43	455	भूमि स्वामी	सिंचित	0.28	0.16	सीताराम रमेश हरभजन पुत्र देवराज शांति पुत्री देवराज 1/2 मेवालाल पुत्र दयाराम जाति लोधी 1/2				
	456	भूमि स्वामी	सिंचित	0.21	0.16					
44	439	भूमि स्वामी	सिंचित	1.75	0.20				कुआ कब्जा	1

45	322	भूमि स्वामी	सिंचित	0.54	0.26	सीताराम रमेश हरमजन पुत्र देवराज जाति लोधी																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
----	-----	-------------	--------	------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

58	94	भूमि स्वामी	सिंचित	0.91	0.05	रामप्यारी वेवा हईलाल 1/2 करन्जु पुत्र हरचरन जाति गडरिया 1/2				
59	91	भूमि स्वामी	सिंचित	2.97	0.10	मकखो वेवा मथुरा रायसिंह पुत्र मथुरा कामता गिरजा पुत्री मथुरा जाति चमार				
60	77/2 77/3	भूमि स्वामी	असिंचित	1.04 0.34	0.08 0.06	जाहरसिंह लालसिंह पुत्र चंतुरी 1/2 मुकेश रामनिवास पुत्र रामप्रसाद 1/2 जाति				
61	1541/1	भूमि स्वामी	असिंचित	1.00	0.87	बीरसिंह पुत्र चन्नी जाति लोधी	कुआ कच्चा 1	मकान गुम्मा छत टीन	लम्बाई 11 फि. चौड़ाई 12 फि. ऊचाई 4 फि.	
62	76	भूमि स्वामी	सिंचित	1.42	0.36	अमान पुत्र काशीराम 4/5 हरीराम पुत्र काशीराम 1/5				
63	75	भूमि स्वामी	असिंचित	1.15	0.07	फेरन पुत्र सद्दल जाति लोधी		कच्चा घर	लम्बाई 15 फि. चौड़ाई 12 फि. ऊचाई 5 फि.	
64	61/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.10	0.03	विसनो पुत्र गज्जू जाति लोधी				
कुल किता 102		कुल रकवा 12.40								

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए सम्भावित कुटुम्ब की संख्या निम्न है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौहा पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटायें या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

स. 186.-

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम. कालीपहाडी, पिछोर तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) शिवपुरी जिला में कुल. 7.61 हेक्टेयर भूमि अमेक्षित है, अर्थात्, ।
इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 7.61 हेक्टेयर है जो ग्राम कालीपहाडी तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) पिछोर जिला शिवपुरी में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हे.)	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	पेड संरचनाओं आदि का ब्यौरा		
							किस्म	संख्या	प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	425	भूमि स्वामी	सिंचित	0.30	0.20	संग्रामसिंह वीरसिंह पुत्र कल्याणसिंह			
	452	भूमि स्वामी	सिंचित	0.76	0.10				
2	427/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.22	0.01	दसिया पति गंगाराम जाति जाटव			
	428/1			0.08	0.03				
	429/1			0.26	0.10				
	430			0.02	0.01				
	431			0.19	0.02				
	432			0.05	0.01				
3	438/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.06	0.06	उमरुलाल मंगाराम मन्नुलाल पुत्र लटोरा 6/7 गौमा शांति शांती गिरजा पुत्री लटोरा 1/7			कुआ कच्चा 1
	426			0.15	0.07				
	428/2			0.25	0.17				
	440			0.22	0.05				
	441			0.13	0.09				
	442			0.03	0.01				
4	443	भूमि स्वामी	सिंचित	0.09	0.09	संजय मनोज अबनिश रजनीकांत पुत्र रामनिवास 1/2 योगेशकुमार स्वादीपकुमार पुत्र रमेशकुमार 1/2			
	444		सिंचित	0.14	0.01				
	428/3		सिंचित	0.06	0.06				
	429/2		सिंचित	0.32	0.16				
	438/2		सिंचित	0.18	0.10				

5	328	भूमि स्वामी	असिंचित	0.78	0.15	जमील खां पुत्र याकुब खां जाति मुसलमान					
	434			0.25	0.22						
	327/3			0.11	0.06						
6	327/1	भूमि स्वामी	असिंचित	1.06	0.35	आकिलखां पुत्र याकूब खां					
	327/2			0.40	0.11						
	325/1			0.40	0.33						
8	324/2	भूमि स्वामी	असिंचित	0.40	0.04	फाजिल खां पुत्र याकुब खां जाति मुसलमान					
	324/1			0.40	0.25						
	299/1			0.40	0.24						
9	299/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.40	0.10	हरिकृष्ण पुत्र हरमजन जाति ब्राह्म					
	299/1			0.40	0.24						
	299/2			0.40	0.10						
12	297	भूमि स्वामी	असिंचित	1.53	0.15	सरोज पत्नि जगदीश					
	295/2			0.73	0.26						
	295/3			0.18	0.16						
14	216	भूमि स्वामी	असिंचित	0.41	0.01	जयराज पुत्र हरमजन					
	221			1.27	0.48						
	236			0.15	0.11						
15	237	भूमि स्वामी	असिंचित	3.85	0.45	नन्दकिशोर पुत्र हरमजन					
	228			0.65	0.21						
	229			0.18	0.04						
16	297	भूमि स्वामी	असिंचित	1.53	0.15	रामस्वरूप रामेश्वरदयाल कैलाशनाथपुत्र रामदयाल सावित्री पुत्री रामदयाल 4/5 मुरारीलाल राजेन्द्रकुमार पुत्र बाबूलाल शारदा पुत्री बाबूलाल 1/5					
	295/2			0.73	0.26						
	295/3			0.18	0.16						
17	216	भूमि स्वामी	असिंचित	0.41	0.01	बृजेशकुमार पुत्र बाबूलाल जाति गुप्ता					
	221			1.27	0.48						
	236			0.15	0.11						
18	237	भूमि स्वामी	असिंचित	3.85	0.45	सोरोम पुत्र जगदीश 1/2 गौरव पुत्र जगदीश 1/2					
	228			0.65	0.21						
	229			0.18	0.04						
19	216	भूमि स्वामी	असिंचित	0.41	0.01	रघवीर पुत्र अन्नदी 1/3 सत्यदेव पुत्र हरीशंकर 1/12					
	221			1.27	0.48						
	236			0.15	0.11						
20	237	भूमि स्वामी	असिंचित	3.85	0.45	हिमाशु पुत्र शिवकुमार 1/12 जितेन्द्र पुत्र शिवकुमार 1/12					
	228			0.65	0.21						
	229			0.18	0.04						
21	216	भूमि स्वामी	असिंचित	0.41	0.01	शिवम् पुत्र प्रभूदयाल 1/12 सुमित पुत्र प्रभूदयाल 1/12					
	221			1.27	0.48						
	236			0.15	0.11						
22	237	भूमि स्वामी	असिंचित	3.85	0.45	विवेक पुत्र रामस्वरूप 1/12 रामअवतार पुत्र रामस्वरूप 1/12 सत्यम् पुत्र हरीशंकर 1/12					
	228			0.65	0.21						
	229			0.18	0.04						
23	216	भूमि स्वामी	असिंचित	0.41	0.01	इमरत पुत्र मोहना ग्राम गोमा गायत्री पुत्री मोहना 5/6 मु. कपूरी वेवा हरवान पूजा नावा. पुत्री हरवान 1/6 सर मां					
	221			1.27	0.48						
	236			0.15	0.11						
24	237	भूमि स्वामी	असिंचित	3.85	0.45	इमरत पुत्र मोहना ग्राम गोमा गायत्री पुत्री मोहना 5/6 मु. कपूरी वेवा हरवान पूजा नावा. पुत्री हरवान 1/6 सर मां					
	228			0.65	0.21						
	229			0.18	0.04						

17	218	भूमि स्वामी	असिंचित	0.33	0.13	रामचरण श्यामलाल पुत्र रामदीन 2/3 लक्ष्मीनारायण राजेशकुमार पुत्र श्रीपत 1/3				
18	199	भूमि स्वामी	सिंचित	2.49	0.48	कैलाश पुत्र राजाराम 1/3 रामनिवास पुत्र रामवरन 2/3				
19	193	भूमि स्वामी	असिंचित	0.87	0.40	सरमन बीरन पुत्र निरपा 20/158 फूलावाई वेवा कुअरराज चन्द्रमान प्रमोद रामकुमार पुत्र कुअरराज अजब उर्फ गुडडी पुत्री कुअरराज 10/158 विनोदवाई वेवा कोमल पुष्पेन्द्र अजय नावा. पुत्र कोमल कल्पना अजली रश्मि नावा. पुत्री कोमल सर मां 4/22 विनिया वेवा बिरगा लखन घमन्डी धनीराम पुत्र बिरगा 10/158 शालिगराम पुत्र सुजान 4/22 रामलखन पुत्र जगन्नाथ 1/5 हरकुंवर रोना रजकू देवा पुत्री निरपा 18/158 जाति वंशकार				
20	219	भूमि स्वामी	असिंचित	2.30	0.02	रामनिवास अमरसिंह राजेशकुमार पुत्र श्रीराम 7/8 पूना वेवा श्रीराम 1/8 जाति लोधी				
21	189	भूमि स्वामी	सिंचित	0.83	0.39	इमरत पुत्र मोहना 23/111 प्रेम गोमा पुत्री मोहना 7/111 गायत्री पुत्री मोहना 23/111 शिवकुमार पुत्र गेबूलाल 40/111 कपूरी वेवा हरवान पूजा नावा पुत्री हरवान 18/111 जाति बराहर				
22	25	भूमि स्वामी	असिंचित	0.91	0.47	मुन्नालाल पुत्र नन्जूराम जाति बराहर				
	12			0.03	0.02					
23	7	भूमि स्वामी	सिंचित	0.22	0.19	अशोककुमार विनोदकुमार पुत्र अन्नदी मु गोमा वेवा आन्नदी लीलावाई शीला वाई राजकुमारी रानी गुडिया पुत्री अन्नदी				

24	10	भूमि स्वामी	असिचित	1.7	0.43	रामदयाल पुत्र विरवनाथ 1/2 रामसेवक आशाराम पुत्र भागीरथ 1/2			मकान केब्ले 2	41.22 वर्ग मीटर 28.47 वर्ग मीटर
	कुल किता 48			कुल रकवा	7.61					

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबोधित सम्पक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या शून्य है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौहा पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटायें या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

सं. 193.-

शिवपुरी, दिनांक 05 अक्टूबर 2020

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ नांद ग्राम पिछोर तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) शिवपुरी जिला में कुल 12.10 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्, ।

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 12.10 हेक्टेयर है जो ग्राम नांद तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) पिछोर जिला शिवपुरी में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हे.)	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	संरचनाओं आदि का ब्यौरा		
							संख्या	प्रकार	स्थिति एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	984	भूमि स्वामी	असिंचित	0.73	0.20	मु. गेदारानी पत्नि छोटेलाल जाति लोधी			
	985			0.82	0.28				
2	969	भूमि स्वामी	सिंचित	0.69	0.21	सगुनसिंह सुधीरसिंह नावा. पुत्र बीरन सर पिता खुद जाति लोधी 1/6 शोभाराम हनुमंतसिंह समस्थ रामवरन पप्पू पुत्र छोटेलाल जाति लोधी हि. 5/6			
	968			1.05	0.03				
3	970	भूमि स्वामी	सिंचित	1.30	0.42	बाबू दानसिंह पुत्र शिवदयाल जाति लोधी विमला रचना कमला पुत्री शिवदयाल जाति लोधी 1/3 इमरत पुत्र बैजू जाति लोधी हि.1/3 बाबूलाल पुत्र शिवदयाल 1/3 जाति लोधी			
	973			1.14	0.44				
4	961	भूमि स्वामी	असिंचित	3.22	0.06	रामसखी पुत्री परमा जाति सेहर 1/2 कुंजा प्रान्जु दयालू काशीराम पुत्र सुकुवा जाति सेहर 1/2			
5	122	भूमि स्वामी	असिंचित	0.07	0.02	जाहर पुत्र रामचरन जाति लोधी			
	112		सिंचित	0.76	0.21				
6	114	भूमि स्वामी	असिंचित	0.55	0.22	रामकली पुत्री दयाराम जाति लोधी			
	107			0.31	0.13				

7	27		सिंचित	0.43	0.01	धनुषरानी वेवा आशाराम जाति लोधी 1/5 कमलसिंह पप्पू भजन पुत्र आशाराम जाति लोधी 3/5 जर्मिला पुत्री आशाराम जाति लोधी 1/5				
	109	भूमि स्वामी	असिंचित	0.93	0.41					
	115		असिंचित	0.30	0.09					
	116		असिंचित	0.25	0.22					
8	117	भूमि स्वामी	असिंचित	1.79	0.09	शिवदयाल पुत्र रमला 1/2 बुद्धा गोविन्दा पुत्र रणजू 1/2				
9	111	भूमि स्वामी	असिंचित	0.60	0.08	वीरसिंह सग्नमसिंह नावा. पुत्र ओमकार सुखवती नावा.पुत्री ओमकार सर काका बाघराज 1/2 सियारानी वेवा श्यामलाल जाति लोधी हि. 1/6 रामश्री पुत्री श्यामलाल पत्नि राजेन्द्र जाति लोधी हि. 1/6 कलावती पुत्री श्यामलाल पत्नि गोपाल जाति लोधी हि. 1/6				
	110	भूमि स्वामी	असिंचित	0.54	0.20	मुनिया पुत्र डरू लोधी				
	138	भूमि स्वामी	असिंचित	2.80	0.04	चिन्दू पुत्र देवजू जाति सेहर				
	28	भूमि स्वामी	सिंचित	0.33	0.02	शिवदयाल पुत्र जस्सू हि. 5/8 सिम्म पुत्री जस्सू हि. 3/8 जाति लोधी				
13	108	भूमि स्वामी	असिंचित	0.62	0.40	हुमान वंशी पुत्र जगना मु. गोरा वेवा जगना कपूरी पुत्री जगना तखण्जू दसियां भागो रामपुरी माया पुत्री बटैया जाति सेहर				
	104	भूमि स्वामी	असिंचित	3.58	0.47					
14	90	भूमि स्वामी	सिंचित	3.57	0.26	शिवदयाल पुत्र जस्सू 1/2 रामकिशन रामकुमार पुत्र बृगभान मीरा पतिया पुत्री बृगभान 1/3 सदरानी वेवा सुन्दर रामनिवास नावा. पुत्र सुन्दर सर माता जाति लोधी हि. 1/6				
	89		असिंचित	1.43	0.06					
15	85	भूमि स्वामी	सिंचित	0.73	0.15	शांति पत्नि लक्ष्मण जाति लोधी				
	72	भूमि स्वामी	असिंचित	0.90	0.32	मुलायम पुत्र मेहरवान जाति लोधी 1/6 जयशम पुत्र मेहरवान जाति लोधी 1/6 रामपप्पू पुत्र मेहरवान जाति लोधी 1/6				
	48	भूमि स्वामी	असिंचित	0.12	0.10	राजेन्द्र पुत्र मेहरवान जाति लोधी 1/6 रामसखी पुत्री मेहरवान जाति लोधी 1/6 पार्वती पुत्री मेहरवान 1/6 जाति लोधी				
17	73	भूमि स्वामी	असिंचित	1.45	0.10	मुबन पत्नि महेश 1/2 विधा पत्नि राकेश जाति लोधी 1/2				

J 6

C.M.

18	61	भूमि स्वामी	असिंचित	0.57	0.01	वीरसिंह संग्रामसिंह नावा. पुत्र ओमकार सुखवती नावा. पुत्री ओमकार सर काका बाघराज 1/2 बदीलाल पुत्र बाघराज 1/2 जाति लोधी			
19	62	भूमि स्वामी	असिंचित	1.07	0.33	बदीप्रसाद सुरजनसिंह पुत्र बाघराज जाति लोधी			
20	63	भूमि स्वामी	असिंचित	0.79	0.52	रामकिशन पुत्र बृखमान जाति लोधी 1/6 पप्पू पुत्र बृखमान जाति लोधी 1/6 मीरा पुत्री बृखमान जाति लोधी 1/126 पारवती पुत्री बृखमान जाति लोधी 1/126 मु. विशाल पुत्र वदीप्रसाद जाति लोधी 41/126 जीवन पुत्र बदीप्रसाद जाति लोधी 41/126			
21	44	भूमि स्वामी	सिंचित	1.04	0.06	सुजान पुत्र बाघराज 1/6 विशाल जीवन नावा. पुत्र बदीप्रसाद सर पिता 1/6 वीरसिंह संग्रामसिंह नावा. पुत्र ओमकार सुखवती नावा पुत्री ओमकार सर काका बाघराज 1/3 परताप पुत्र ठकुरी आशाराम प्रीतम, बृन्दावन सिरनाम देवीलाल पुत्र वृजलाल 1/3 जाति लोधी			
	56		असिंचित	0.30	0.12				
	57		असिंचित	0.24	0.23				
	58		असिंचित	0.13	0.13				
	59		असिंचित	0.26	0.01				
22	30	भूमि स्वामी	सिंचित	0.74	0.29	अतरसिंह कल्याणसिंह कमलेशकुमार नावा. पुत्र विक्रम सर पिता खुद जाति लोधी			
	386			0.61	0.34				
23	46	भूमि स्वामी	असिंचित	0.30	0.18	कल्याण पुत्र कुवराज जाति लोधी 1/2 रामकिशोर पुत्र कल्याण जाति लोधी 20/512 सरूपी पुत्री कुवराज जाति लोधी 236/512			
24	47	भूमि स्वामी	असिंचित	0.3	0.17	भागीरथ पुत्र जुझार जाति लोधी			
	49	भूमि स्वामी	असिंचित	0.10	0.01	कपूरी वेवा कैलाश जाति लोधी 3/56 गौरीशकर पुत्र कैलाश जाति लोधी 3/56 महेन्द्र पुत्र कैलाश जाति लोधी 3/56 प्रदीप पुत्र कैलाश सुल्तान पुत्र कैलाश जाति लोधी 3/56 प्रदीप पुत्र कैलाश जाति लोधी 3/56 छोटू पुत्र कैलाश जाति लोधी 3/56 रजकू पुत्री देशराज सोमवती पुत्री कैलाश जाति लोधी 3/56 रजकू पुत्री देशराज जाति लोधी 1/8 दुर्गसिंह पुत्र सुखलाल जाति लोधी हि. 1/4 करई वेवा सुखलाल जाति लोधी 1/4			
	382			1.06	0.15				
25	384		असिंचित	0.25	0.01				
26	50	भूमि स्वामी	असिंचित	0.17	0.01	रती वेवा बैयालाल जाति लोधी			

27	106	भूमि स्वामी	असिंचित	0.63	0.08	महेश पुत्र शिवदयाल जाति लोधी				
	19	भूमि स्वामी	असिंचित	0.70	0.01					
	390	भूमि स्वामी	असिंचित	0.14	0.08	शिवदयाल पुत्र पजना जाति लोधी				
28	391	भूमि स्वामी	असिंचित	0.27	0.19	महाराजसिंह पुत्र पजना जाति लोधी				
29	392	भूमि स्वामी	असिंचित	0.26	0.25	समरत सुनीलकुमार पुत्र शिवदयाल जाति लोधी				
30	393	भूमि स्वामी	असिंचित	0.36	0.01	मु. सरजू बेवा मथरी लखन नन्दलाल पुत्र मथरी दयाराम पुत्र श्यामा 2/3 सतोष पुत्र मेहरु भुअन पुत्री मेहरु मु. अवधरानी बेवा मेहरु हि. 1/2 जाति लोधी				
31	414	भूमि स्वामी	असिंचित	0.15	0.01	भजना पुत्र मौजी जाति लोधी 1/6 मुन्ना पुत्र मौजी जाति लोधी 1/6 सिरकू पुत्री मौजी जाति लोधी 1/6 समरथ पुत्र शिवदयाल जाति लोधी 1/6 गिरजा पुत्री मौजी जाति लोधी 1/6 रानी पुत्री मौजी जाति लोधी 1/6				
32	416	भूमि स्वामी	असिंचित	1.53	0.36	कौशिया बेवा वैजू किशनलाल धारसिंह मनोहर ज्ञानसिंह पुत्रगण वैजू मखनिया हरजान पुत्री वैजू जाति सेहर				
33	418/2	भूमि स्वामी	असिंचित	0.19	0.14	नाथूराम उत्तमसिंह पुत्र कुन्जलाल जाति लोधी				
34	436	भूमि स्वामी	असिंचित	0.27	0.06	बिहड़या विरगा छुट्टा श्यामा पुत्र देवजू जाति सेहर				
	437	भूमि स्वामी	असिंचित	0.35	0.07					
35	442	भूमि स्वामी	असिंचित	1.58	0.30					
	438			0.23	0.11					
	443			0.20	0.12					
36	444	भूमि स्वामी	असिंचित	0.15	0.05	मिहीलाल पुत्र रामदीन जाति लोधी				
	445			0.25	0.18					
	446			0.10	0.01					
37	488	भूमि स्वामी	असिंचित	1.3	0.30	फूलसिंह रोशन पुत्र रामदयाल भूरी पुत्री रामदयाल जाति लोधी 1/2 मधुलता पति विजय जाति गुप्ता 1/2				
38	489	भूमि स्वामी	असिंचित	0.99	0.50	मुल्ला पुत्र श्यामा जाति आदिवासी				
39	490	भूमि स्वामी	असिंचित	0.49	0.09	इमरत पुत्र भमरा 1/3 ग्यासी पुत्र जलू 1/3 सिरावन बेवा भदैया जाति सेहर 1/3				
40	496	भूमि स्वामी	असिंचित	0.33	0.08	सरमनसिंह मुलायमसिंह पुत्र चन्दन 2/3 गेदरानी बेवा चन्दन 1/3 जाति लोधी				

41	497	भूमि स्वामी	असिंचित	0.41	0.19	गौरीशंकर महेन्द्र पुत्र कैलाश जाति लोधी			
42	497/3550	भूमि स्वामी	असिंचित	0.34	0.21	भगीरथ पुत्र जुझार जाति लोधी			
43	498	भूमि स्वामी	सिंचित	0.51	0.22	राजाराम पुत्र अन्नदी जाति लोधी			
44	499	भूमि स्वामी	असिंचित	0.63	0.19	रामनाथ संजीव अवधेश पुत्र वलदेव जाति लोधी			
45	541	भूमि स्वामी	असिंचित	1.44	0.35	देवलाल पुत्र गम्भीर जानकी सुलिया पुत्री गम्भीर सावो पुत्री			
	495			0.46	0.03	रामचरन 289/346 अतामुहम्मद पुत्र नूरुमुहम्मद 57/347			
46	544	भूमि स्वामी	असिंचित	0.61	0.01	नाथुआ पुत्र जगना मक्खो पुत्री जगना जाति लोधी			
47	20	भूमि स्वामी	असिंचित	1.00	0.09	बीरसिंह संग्रामसिंह नावा. पुत्र ओमकार सुखवती नावा पुत्री ओमकार सर काका बाघराज जाति लोधी 1/4 महेश राकेश पुत्र शिवदयाल जाति लोधी 1/4 महेश पुत्र शिवदयाल जाति लोधी 1/4 राकेशकुमार पुत्र शिवदयाल जाति लोधी 1/4			
कुल किता 73		कुल रकबा		12.10					

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निश्चय है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौहा पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाने या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

अंतर्गतक - गणना

सं. 194.-

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ सलैया ग्राम पिछोर तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) शिवपुरी जिला में कुल 3.11 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्, 1

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 3.11 हेक्टेयर है जो ग्राम सलैया तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) पिछोर जिला शिवपुरी में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हे.)	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कृषक का नाम पिता/पति का नाम		संरचनाओं आदि का ब्यौरा	
						7	8	संख्या	प्रकार
1	2	3	4	5	6	आशाराम पुत्र नारायणजू जाति लोधी 1/12 सीताराम पुत्र नारायणजू जाति लोधी 1/12 जवाहर पुत्र रामदयाल जाति लोधी 1/42 श्यामलाल पुत्र रामदयाल जाति लोधी 1/42 इमरत पुत्र रामदयाल जाति लोधी 1/42 गिरधर पुत्र रामदयाल जाति लोधी 1/42 चारेलाल पुत्र रामदयाल जाति लोधी जाति लोधी 1/42 मिथला पुत्री रामदयाल जाति लोधी 1/42 सुनिया देवा रामदयाल जाति लोधी 1/42 रामप्रसाद पुत्र सावले जाति लोधी 1/9 मुनिया पत्नि वृजलाल कलाश श्रीलाल कल्याण पुत्र वृजलाल जाति लोधी 1/9 हरगोविन्द पुत्र सावले जाति लोधी 1/9 किसानलाल पुत्र गनपा जाति लोधी 13/168 कुवराज पुत्र गनपा जाति लोधी 13/168 मेहरवान पुत्र गनपा जाति लोधी 13/168 मेवालाल पुत्र गनपा जाति लोधी 13/168 जमुनिया देवा गनपा जाति लोधी 1/126 गीतावाई पुत्री गनपा जाति लोधी 1/126 लज्जावती पुत्री गनपा जाति लोधी 1/126			
1	1829	भूमि स्वामी	असिंचित	0.51	0.27	12			
	1894			1.66	0.53				
	1895			0.18	0.01				
2	1893	भूमि स्वामी	असिंचित	0.60	0.14	किसानलाल पुत्र गनपत जाति लोधी 1/2 सुनीता पत्नि मुकेश 1/2 जाति लोधी			
3	1844/2	भूमि स्वामी	असिंचित	2.51	0.84	देवी प्रताप सिंह पुत्र रत्नवीरसिंह जाति ठाकुर			
4	1833	भूमि स्वामी	असिंचित	0.55	0.04	मुनिया पत्नि वृजलाल जाति लोधी 5/8 किसानलाल पुत्र गनपत जाति लोधी 1/8 सुनीता पत्नि मुकेश जाति लोधी 1/8 रामकुमारी पत्नि कमलेश जाति लोधी हि. 1/8			
5	1843	भूमि स्वामी	असिंचित	0.58	0.01	मुनिया पत्नि वृजलाल जाति लोधी 1/4 कलाश पुत्र वृजलाल जाति लोधी 1/4 श्रीलाल पुत्र वृजलाल जाति लोधी 1/4 कल्याण पुत्र वृजलाल हि. जाति लोधी 1/4			
6	1832	भूमि स्वामी	असिंचित	0.87	0.31	भारीरथ चारेलाल पुत्र हरप्रसाद बैनीवाई रामकली रामको केशन पुत्रो हरप्रसाद 6/21 गुड्डो पत्नि कामल रतनदेवी पत्नि बबलू 1/21 मधुरी पुत्र रज्जू 2/3 जाति लुहार			
7	1831	भूमि स्वामी	असिंचित	0.70	0.42	मु. धनिया देवा खुबी सिरनाम दयाराम मनीराम रामराजा नारायणसिंह पुत्र खुबी बाईदे पुत्री खुबी जाति अहीर समान भाग			

क्र.	सं.	भूमि स्वामी	असिंचित	0.84	0.53	दयाराम पुत्र कसिया जाति लुहार हि. 1/4 छोटलाल पुत्र कसिया जाति लुहार 1/4 बसन्तलाल पुत्र कसिया जाति लुहार 1/4 रामदास पुत्र कसिया जाति लुहार 1/4		
8	1834					किशनलाल लखन पुत्र बिरघा रामकृ. देवा बिरघा जामवती कैलाशी प्रभा पुत्री बिरघा जाति लोधी 7/80 हरकुर देवा गम्भीर गुडडी गीता भूरी कल्ले पुत्री गम्भीर बदीप्रसाद पुत्र गम्भीर जाति लोधी हि. 1/72 कर्मकार पुत्र देशराज जाति लोधी हि. 7/80 खलका पुत्र देशराज रामसेवक आशाराम पुत्र भागीरथ जाति लोधी 1/20 श्रीराम रामकिशन पुत्र पुन्ना सखी हरमुखी रामकुमारी कुशमा रामसखी नावा. पुत्री पुन्ना सर मां केशर देवा पुन्ना जाति लोधी 1/40 मायाशिव भैयालाल नन्दराम पुत्र रघुवर जाति लोधी हि. 1/8 सगुनसिंह पुत्र भैयालाल रामरीत रामेश्वर पुत्र नन्दराम जाति लोधी हि. 1/14 हरशराम नावा. पुत्र मायाशिव सर पिता जाति लोधी हि. 1/24 नन्दराम पुत्र रघुवर जाति लोधी हि. 1/32 तोरन रोशनलाल पुत्र हरवान जाति लोधी हि. 1/36 सिरनाम पुत्र राजाराम कपूरी भावती पुत्री राजाराम जाति लोधी हि. 1/16 जिहानसिंह करनसिंह रामप्रकाश महेन्द्र पुत्र सिनाम जाति लोधी हि. 1/48 बदी पुत्र गम्भीर जाति लोधी 1/144 रामनाथ पुत्र तोरन जाति लोधी 1/144 सजीव मनोज पुत्र रघुनलाल जाति लोधी 1/144 राकेश बा. भरत रामस्वरूप नावा. पुत्र रामदयाल सर पिता जाति लोधी 1/6 लालाराम दयाराम प्रभु पुत्र रामचरण जाति लोधी 1/6 अतरसिंह पुत्र भैयालाल जाति लोधी 5/192 प्रतापमान नावा. पुत्र मायाशिव सर पिता खुद जाति लोधी 5/192		
9	1899	भूमि स्वामी	असिंचित	5.77	0.01			
कुल किता 11		कुल रकवा 3.11						

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निशून्य है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौहा पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाने या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

अक्षयकुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.